

गार्डन परिसर में संचालित अवैध भैंस खटाल पर निगम की कार्रवाई, 2 हजार रुपये का जुर्माना

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत एक गार्डन परिसर में अवैध रूप से भैंस खटाल संचालित किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर निगम प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पाया गया कि खटाल संचालक द्वारा गार्डन परिसर का उपयोग पालतू पशुओं को रखने एवं खटाल संचालन के लिए किया जा रहा था, जिससे सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता एवं सौंदर्य प्रभावित हो रहा था।

निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संबंधित खटाल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया तथा गार्डन परिसर से सभी पालतू पशुओं को तत्काल हटवाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उद्यानों एवं शासकीय परिसरों का उपयोग निजी व्यवसाय अथवा पशुपालन गतिविधियों के लिए करना नियमों के विरुद्ध है और भविष्य में ऐसी गतिविधियां पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की गई है कि सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता एवं सौंदर्य बनाए रखने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण या नियम विरुद्ध गतिविधि की जानकारी निगम प्रशासन को दें। कार्रवाई के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी वीरेन्द्र बंजारे, अतिक्रमण प्रभारी हरिओम गुप्ता एवं उनकी टीम उपस्थित रही।

